हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

बारहवां सत्र

मंगलवार, 23 अगस्त, 2016/1 भाद्रपद,1938 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित:**

   (i) स्थगित
   (ii) दिन के लिए
   } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2)) **अतारांकित :**

   दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे:**

   श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 14 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:-जी0ए0डी0-सी0(पीए)4-2/2003 दिनांक 10.05.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.08.2016 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. **सदन की समितियों के प्रतिवेदन :**

   (1) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

   (i) समिति का **19वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों एवं आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **20वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में उद्यान विभाग द्वारा चलाई जा रही फल पौध पोषण तथा पौध संरक्षण योजनाओं के आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति का **26वां मूल प्रतिवेदन** जोकि प्रदेश में संचालित समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा **अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. <u>सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन :</u>

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

"That in pursuance of the Statute 8(1)(ix) of the Statutes of the Himachal Pradesh University, the members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as the members of the Himachal Pradesh University Court for a period of three years commencing from the date of publication of their being as members of the H.P. University court in the notification subject to other provisions of the said statutes."

5. <u>विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव :</u>

श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में दिनांक 19 फरवरी, 2014 को पुर:स्थापित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 5) को वापिस लिया जाये।

6. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:</u>

श्री महेन्द्र सिंह, "दिनांक 22 अगस्त, 2016 को हिमाचल दस्तक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक 'बुलडोजर चलने को बचे 4 दिन, कुछ करो सरकार', फोरलेन हेतु भू-अधिग्रहण के मुआवजे की राशि" से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

शिमला-171 004 सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 22 अगस्त, 2016 सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)